रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2001/माघ 24, 1922

No. 86] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2001/MAGHA 24, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 13 फरवरी, 2001

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2001

का.आ. 128(अ).— भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

I. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2001 कहा जा सकेगा ।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

II. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 में :-

(क) विनियम 9 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

"परंतु यह कि विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता जो इसके रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करने की वांछा नहीं करता है या उप-विनियम (1) के अधीन नवीकरण के लिये

आवेदन करने में असफल रहा है, रजिस्ट्रीकरण के अवसान के समय, बोर्ड से विनिर्दिष्ट अनुज्ञा, अभिप्राप्त करेगा, इसकी ओर से या इसके उप-लेखा(खों) की ओर से इसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों के विनिवेश के लिये, नियत समय कालावधि के भीतर, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें ।

परंतु यह और कि जहाँ विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता इसके उप-लेखा(खों) में से किसी के रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करने की वांछा नहीं करता है या उप-लेखा(खों) के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिये आवेदन करने में असफल रहा है, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता रजिस्ट्रीकरण के अवसान के समय, बोर्ड से विनिर्दिष्ट अनुज्ञा, अभिप्राप्त करेगा, नियत समय कालावधि के भीतर उप-लेखा(खों) की ओर से इसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों के विनिवेश के लिये, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें ।"

(ख) विनियम 15 में,

(i) उप-विनियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

(ङ) वाणिज्यिक पत्र '

(ii) उप-विनियम (2) में, परंतुक के स्पष्टीकरण में, शब्द, 'वाणिज्यिक पत्र', शब्दों, 'सरकारी प्रतिभूतियाँ' के पश्चात् और शब्दों, 'और खजाना हुंडियाँ' के पूर्व, अंत:स्थापित किये जायेंगे ।

(iii) उप-विनियम (3) में, खंड (ग) में, पहले परंतुक में, शब्द, 'वाणिज्यिक पत्र', शब्दों, 'सरकारी प्रतिभूतियाँ' के पश्चात् और शब्दों 'जिनमें खजाना हुंडियाँ सम्मिलित हैं' के पूर्व, अंत:स्थापित किये जायेंगे ।

[फा.सं. भाप्रविबो/विधि/22961/01]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :-

1. भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 मूल विनियम, सं. भाप्रविबो/विधि/918(अ), 14 नवम्बर, 1995 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

2. भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 तत्पश्चात् -

(क) 9 अक्तूबर, 1996 को भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1996, का.आ. सं. 702(अ), द्वारा

(ख) 19 नवम्बर, 1996 को भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1996, का.आ. सं. 799(अ), द्वारा

(ग) 12 फरवरी, 1997 को भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) संशोधन विनियम, 1997, का.आ. सं. 105(अ), द्वारा

(घ) 10 जुलाई, 1997 को भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) संशोधन विनियम, 1997, का.आ. सं. 495(अ), द्वारा

(ङ) 5 दिसम्बर, 1997 को भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 823(अ), द्वारा

(च) 20 अप्रैल, 1998 को भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 333(अ), द्वारा

(छ) 18 मई, 1998 को भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 417(अ), द्वारा

(ज) 30 जून, 1998 को भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 545(अ), द्वारा

(झ) 16 अप्रैल, 1999 को भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 263(अ), द्वारा

(ञ) 29 फरवरी, 2000 को भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 180(अ), द्वारा

(ट) 20 अक्तूबर, 2000 को भाप्रविबो (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 946(अ), द्वारा संशोधित हुआ था ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th February, 2001

Securities and Exchange Board of India
(Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 2001

S.O. 128(E).— In exercise of the powers conferred by sub–section (1) of Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

II. In Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995:-

(a) In regulation 9, after sub-regulation (1), the following provisos shall be inserted, namely: -

"Provided that a Foreign Institutional Investor who does not desire to renew its registration or has failed to make an application for renewal under sub-regulation (1), shall, at the time of expiry of registration, obtain a specific permission from the Board, for disinvesting the securities held by it on its own account or on behalf of its sub-account(s), within a stipulated time period, subject to such terms and conditions as may be specified by the Board.

Provided further that where a Foreign Institutional Investor does not desire to renew registration of any of its sub-account(s) or has failed to make an application for renewal of registration of sub-account(s), the Foreign Institutional Investor shall at the time of expiry of registration, obtain, a specific permission from the Board, for disinvesting the securities held by it on behalf of sub-account(s) within a stipulated time period, subject to such terms and conditions as may be specified by the Board."

(b) In regulation 15,

(i) in sub-regulation (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

'(e) commercial paper'

(ii) in sub-regulation (2), in the explanation to proviso, the words, 'commercial paper', shall be inserted, after the words, 'government securities' and before the words, 'and treasury bills'.

(iii) in sub-regulation (3), in clause (c), in the first proviso, the words, 'commercial paper', shall be inserted, after the words, 'government securities' and before the words 'including treasury bills.'

[F. No. SEBI/LE/22961/01]

D.R. MEHTA, Chairman

Footnote: -

1. SEBI (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995 the principal regulation was published in the Gazette of India on November 14, 1995, vide No.SEBI/LE/918(E).

2. SEBI (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995 was subsequently amended -
   (a) on October 9, 1996 by the SEBI (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 1996 vide S.O. No. 702(E).
   (b) on November 19, 1996 by the SEBI (Foreign Institutional Investors) (Second Amendment) Regulations, 1996 vide S.O. No. 799(E).
   (c) on February 12, 1997 by the SEBI (Foreign Institutional Investors) Amendment Regulations, 1997 vide S.O. No. 105 (E).
   (d) on July 10, 1997 by the SEBI (Foreign Institutional Investors) Amendment Regulations, 1997 vide S.O. No. 495 (E).
   (e) on December 5, 1997 by the SEBI (Foreign Institutional Investors) (Third Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No 823 (E).
   (f) on April 20, 1998 by the SEBI (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 333(E).
   (g) on May 18, 1998 by the SEBI (Foreign Institutional Investors) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 417 (E).
   (h) on June 30, 1998 by the SEBI (Foreign Institutional Investors) (Third Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 545 (E).
   (i) on April 16, 1999 by the SEBI (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 1999, vide S.O. No. 263 (E).
   (j) on February 29, 2000 by SEBI (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 180(E).
   (k) on October 20, 2000 by SEBI (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 946 (E).

U38GI/2001

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.